

नौवीं अनुसूची

प्रलिस के लयः

आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय, संवधान (प्रथम संशोधन) अधनियम, 1951 ।

मेन्स के लयः

संवधान की नौवीं अनुसूची ।

चर्चा में क्यों:

हाल ही में झारखंड वधानसभा ने पदों और सेवाओं में रक्तियों का आरक्षण तथा स्थानीय व्यक्त वधियक नामक दो वधियों को मंजूरी दे दी है ।

- हालाँकि इन वधियों का क्रयान्वन केंद्र सरकार इन्हें संवधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लयि संशोधन के बाद कयि जा सकेगा ।

वधियक

- झारखंड पदों और सेवाओं में रक्तियों का आरक्षण (संशोधन) वधियक 2022:
 - इसके माध्यम से आरक्षण का दायरा 77% तक बढ़ जाएगा ।
 - इसके तहत आरक्षित श्रेणी के भीतर अनुसूचित जातियों को 10-12%; ओबीसी को पूर के 14 % के बजाय 27%, अनुसूचित जनजातियों को पूर के 26% के बढ़ाकर 28% और **आरथक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS)** को 10% का कोटा प्रदान कयि जाएगा ।
- झारखंड स्थानीय व्यक्त वधियक, 2022:
 - इसका उद्देश्य स्थानीय नवासियों को उनकी भूमि पर नदयों, झीलों, मत्स्य पालन के स्थानीय वकिस में उनकी हसिसेदारी में; स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक तथा वाणज्यिक उद्यमों में; कृषि ऋणग्रस्तता पर अधिकार या कृषि ऋण का लाभ उठाने; भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव एवं संरक्षण में; या उनकी सामाजिक सुरक्षा के लयि; नज़ी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में; या राज्य में व्यापार और वाणज्य के लयि "कुछ अधिकार, लाभ व अधमिन्य उपचार " प्रदान करना है ।
- नौवीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता:
 - 77% आरक्षण वर्ष 1992 के इंदरि साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय नरिधारित 50% की सीमा को पार करता है ।
 - हालाँकि, नौवीं अनुसूची में एक कानून रखने से यह न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हो जाता है ।
 - इससे पहले, तमलिनाडु पछिडा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों तथा राज्य के तहत सेवाओं में नयुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधनियम, 1993 ने राज्य सरकार में कॉलेजों एवं रोजगारों में 69% सीटें आरक्षित की थीं ।
- नौवीं अनुसूची:
 - इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामिल कयि गया है जसि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसको **संवधान (प्रथम संशोधन) अधनियम, 1951** द्वारा जोड़ा गया था ।
 - पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए । वर्तमान में इसमें 284 वधियों को शामिल कयि है ।
- इसका गठन अनुच्छेद 31B द्वारा कयि गया था, जसि अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और **जमींदारी प्रथा** को समाप्त करने के लयि लाया गया था ।
 - जबकि अनुच्छेद 31A कानूनों के 'वर्गों (Classes)' को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 31B वशिष्ट कानूनों या अधनियमों का संरक्षण करता है ।
 - जबकि अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि/भूमि के मुद्दों से संबंधित हैं, इसके अलावा सूची में अन्य वषिय शामिल हैं ।
- अनुच्छेद 31B में एक पूरव्यापी संचालन भी है, जसिका अर्थ है कयिद कानूनों को असंवैधानिक घोषित कयि जाने के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कयि जाता है, तो उन्हें उनके प्रारंभ के बाद से अनुसूची में शामिल माना जाता है और इस प्रकार वे कानून मान्य हैं ।
- हालाँकि अनुच्छेद 31B न्यायिक समीक्षा से बाहर है, सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत में कहा है कनौवीं अनुसूची के तहत भी कानून जाँच के लयि खुले होंगे यदी वे मौलिक अधिकारों या **संवधान की मूल संरचना** का उल्लंघन करते हैं ।

नौवीं अनुसूची के कानून और न्यायिक जाँच:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):** न्यायालय ने गोलकनाथ फैसले को बरकरार रखा और "भारतीय संविधान की मूल संरचना" की एक नई अवधारणा पेश की और कहा कि, "संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है लेकिन वे संशोधन जो संविधान के स्तर या मूल ढाँचे को नरिस्त या समाप्त कर सकेंगे, जैसे जसिमें मौलिक अधिकार शामिल हैं उनको न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है"।
- **वामन राव बनाम भारत संघ (1981):** इस महत्त्वपूर्ण नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "वे संशोधन जो 24 अप्रैल, 1973 से पहले संविधान में किये गए थे (जसि तारीख को केशवानंद भारती में नरिणय दिया गया था) वैध और संविधानिक हैं लेकिन जो नरिदष्टि तथिके बाद किये गए थे उन्हें संविधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
- **आई. आर. कोएलहो बनाम तमलिनाडु राज्य (2007):** यह माना गया था कि प्रत्येक कानून को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत परीक्षण किया जाना चाहिये यदयिह 24 अप्रैल, 1973 के बाद लागू हुआ है।
 - इसके अलावा न्यायालय ने अपने पछिले फैसलों को बरकरार रखा और घोषित किया ककिसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका द्वारा जाँच के लिये खुला है यदयिह संविधान की मूल संरचना के अनुरूप नहीं है।
 - साथ ही यह भी कहा गया कयिद नौवीं अनुसूची के तहत कसि कानून की संविधानिक वैधता को पहले बरकरार रखा गया है, तो भविष्य में इसे फरि से चुनौती नहीं दी जा सकती है।

आगे की राह:

- यदयि आरक्षण आवश्यक है लेकिन कार्यपालिका या वधियिका द्वारा कसि भी आकस्मिक अथवा तर्कहीन नीतित पहल को बढ़ावा देने से रोकने के लिये न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान होना चाहिये।
- इस वषिय पर वभिनिन हतिधारकों को शामिल कर के आरक्षण नीत में कसि भी खामी या कमयियों को दूर किया जाना चाहिये। अभी आवश्यकता है कि आरक्षण नीत को खतम करने या सीमित करने संबंधी कसि नषिकर्ष पर पहुँचने के बजाय इस वविदास्पद नीत पर एकतरकसंगत रूपरेखा वकिसति की जानी चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. भारत की संसद कसि कानून वशिय को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए कसि कानून की वैधता का परीक्षण कसि न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके उपर कोई नरिणय भी नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. कसि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुःस्थापित किया गया था?

- (a) जवारहलाल नेहरू
- (b) लाल बहादुर शास्त्री
- (c) इंदरि गाँधी
- (d) मोरारजी देसाई

उत्तर: (a)

????

प्रश्न. कोहलियो मामले में क्या अभनिरिधारत किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरवलोकन संविधान के बुनयिदी अभलिकषणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ninth-schedule>

